अध्याय 7

मुद्रा एवं बैंकिंग

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- मुद्रा का अर्थ, कार्य एवं विशेषताएँ।
- मुद्रा की आपूर्ति।
- भारत में बैंकिंग प्रणाली: रिज़र्व बैंक व उसके कार्य।
- वाणिज्यिक बैंक।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- सहकारी बैंक।
- विकास बैंक।
- भुगतान व लघु बैंक।
- इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक।
- विमुद्रीकरण: कारण, अर्थ, प्रभाव।

परिचय (Introduction)

'मुद्रा' अर्थव्यवस्था का केन्द्र है और समस्त आर्थिक क्रियाओं को सम्पादित करने के पीछे उद्देश्य मुद्रा का अर्जन ही है। वस्तु विनिमय से होने वाली समस्याओं के परिणामस्वरूप, मुद्रा का सृजन हुआ और तब से लेकर आज तक मुद्रा अपने महत्व को बनाये रखे है। मुद्रा के स्वरूप में समयानुसार परिवर्तन होता रहा है—मिट्टी, चमड़े, सोना, चांदी, कांस्य व तांबे जैसी वस्तुओं से निर्मित होने के पश्चात् वर्तमान में मिश्रधातु व कागज की मुद्रा का चलन है।

आज के दौर में मुद्रा केवल वह नहीं, जो देश के केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) से नोट व सिक्के के रूप में निर्गमित की जाती है, बल्कि चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी भुगतान करने के लिये बड़ी मात्रा में प्रयुक्त किये जा रहे हैं। यह मुद्रा का विकसित स्वरूप है। मुद्रा का नवीनतम स्वरूप 'पालीमर' मुद्रा का है।

मुद्रा का अर्थ

सभी प्रकार के लेन-देनों जैसे वस्तु या सेवा का क्रय या ऋणों का भुगतान करने के उद्देश्य से प्रयुक्त वस्तु ही 'मुद्रा' कहलाती है।

मुद्रा के कार्य

मुद्रा का चलन अर्थव्यवस्था को गति देता है, उसके द्वारा सम्पादित कार्यों से यह पता चलता है—

- मुद्रा के माध्यम से ब्याज, लगान, वेतन, मजदूरी, पेंशन, बीमा प्रीमियम जैसे महत्वपूर्ण भुगतान किये जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से बैंक, बीमा कम्पनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को क्रियाशील बनाते हैं।
- मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारित करने का कार्य करती है, जो उत्पादक वर्ग को लाभ व सरकार को राजस्व प्रदान करती है।
- मुद्रा के अन्य कार्यों में संपत्ति का सृजन करना, विनिमय के साधन के रूप में प्रयुक्त, सभी लेन-देनों में स्वीकार्यता, आदि शामिल है।

उपरोक्त कार्यों के आधार पर मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य निर्धारित किये जा सकते हैं—(1) विनिमय का सर्वस्वीकार्य साधन (2) वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का मापक (3) मूल्य का संग्रह (4) भावी देयताओं का साधन।

मुद्रा की विशेषताएँ

एक अच्छी मुद्रा की विशेषताएँ निम्नवत् हैं—

- जिसका मूल्य स्थिर हो।

- आसानी से पहचानने योग्य हो।
- स्वीकृत हो।
- लाने ले जाने में सुविधा जनक हो।
- मुद्रा पर्याप्त विभाजित हानी चाहिए (1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 के नोट)
- शीघ्र नष्ट न होने वाली हो।
- मुद्रा की अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि मुद्रा निर्गमित करने का एकाधिकार उस देश के केन्द्रीय बैंक के पास हो जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त हो।

मुद्रा की आपूर्ति (Supply of Currency)

मुद्रा की आपूर्ति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा की मात्रा की गणना करना है। जब तक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कितनी है? इसका अनुमान नहीं लगाया जाता, तब तक मुद्रा की आपूर्ति/प्रचलन बढ़ाने या घटाने संबंधी निर्णय लेना असम्भव है। मुद्रा आपूर्ति की माप का कार्य भारत में **आरबीआई** द्वारा किया जाता है। भारत में वर्तमान में मुद्रा आपूर्ति की माप के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है उसका सुझाव **आरबीआई** द्वारा गठित मुद्रा आपूर्ति के द्वितीय कार्यदल द्वारा वर्ष 1971–72 में किया गया था।

मुद्रा की आपूर्ति की गणना के लिए चार घटकों (Components) का प्रयोग किया जाता है। इन्हें M_1, M_2, M_3, और M_4, के नाम से जाना जाता है जिनकी आंतरिक बनावट निम्नवत् हैं—

- M_1—जनता के पास मुद्रा (करेंसी नोट व सिक्के) + बैंकों की मांग जमा (बैंकों का बचत खाता एवं चालू खाता) + **RBI** की अन्य जमा राशि।

ध्यातव्य हो कि

M_1 को निम्न प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है।

$M_1 = C + DD + OD$

C — जनता के पास मुद्रा

DD — बैंकों की मांग जमा राशि

OD — RBI की अन्य जमा राशि

2. M_2 — M_1 + डाकघरों की मांग जमा (डाकघर का बचत खाता एवं बचत योजनाएं।)
3. M_3 — M_1 + बैंकों की सावधि जमा (Fixed Deposit)
4. M_4 — M_3 + डाकघरों की समग्र जमा (बचत खाता + सावधि जमां)

मुद्रा आपूर्ति के महत्वपूर्ण तथ्य

- कुल मुद्रा से आशय केवल ऐसी मुद्रा से है, जो जनता के पास होती है। बैंकों और सरकारों के पास मुद्रा, मुद्रा आपूर्ति में शामिल नही की जाती, क्योंकि इन्हें मुद्रा का उत्पादक माना जाता है।
- मुद्रा की आपूर्ति अथवा मौद्रिक तरलता की उक्त चार मापों में M_1 मुद्रा की अन्य तीनों मापों M_2, M_3, और M_4, की तुलना में 'सर्वाधिक तरल' रूप का प्रतिनिधित्व करती है। अत: इसे संकुचित मुद्रा भी कहते हैं।
- M_1 की अपेक्षा M_2 कम तरल है क्योंकि इसमें शामिल डाकघरों की बचत जमा बैंकों की बचत जमाओं से कम तरल होती हैं।
- M_1 और M_2 की अपेक्षा M_3, कम तरल होती है, क्योंकि इसमें बैंको की सावधि जमायें भी सम्मिलित होती है।
- M_4 सबसे कम तरल होती है क्योंकि इसमें डाकखाने की समस्त जमा को शामिल किया गया और डाकखाने की जमा, बैंकों की जमा की तुलना में कम तरल होती है।
- वास्तव में प्रमुख विशेषता, जो मुद्रा के एक रूप को दूसरे रूप से भिन्न करती है, वह है, उसकी तरलता की 'श्रेणी'। अन्य शब्दों में जैसे-जैसे हम M_1 से M_2, M_3 तथा M_4 की ओर बढ़ते हैं, मुद्रा की तरलता घटती जाती है।

ध्यातव्य हो कि

भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपर्युक्त संघटकों में M_3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसे ही प्राय: विस्तृत मुद्रा कहा जाता है और मुद्रा आपूर्ति के मापक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली (Banking System in India)

भारत में बैंकिंग प्रणाली का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

- केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया)
- व्यापारिक/वाणिज्यिक बैंक
  - (i) सार्वजनिक बैंक
  - (ii) निजी बैंक
    - पुराने निजी
    - नये निजी बैंक
- व्यापारिक/वाणिज्यिक बैंक
  - (i) अनुसूचित बैंक
  - (ii) गैर-अनुसूचित बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- सहकारी बैंक
  - (i) राज्य सहकारी बैंक
  - (ii) केन्द्रीय/जिला सहकारी बैंक
  - (iii) प्राथमिक सहकारी साख समिति
- विकास बैंक
- भुगतान व लघु बैंक
- इस्लामिक विकास बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India)

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी। यह 5 करोड़ रूपये की पूंजी 100 मूल्य के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। यह भारत का केन्द्रीय बैंक है।

प्रारम्भ में लगभग समस्त पूंजी का स्वामित्व गैर सरकारी अंशधारियों के पास था किन्तु अंशों को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होने से रोकने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 1949 को रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

बैंक में सामान्य प्रबन्ध एवं निर्देशन का कार्य 20 सदस्यों के एक 'केन्द्रीय निदेशक मण्डल' द्वारा किया जाता है।

तालिका 7.1: भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख पद

पद	केन्द्रीय निदेशक मण्डल के सदस्य संख्या
गवर्नर	1
डिप्टी गवर्नर	4
सरकारी अधिकारी	1 (प्रायः वित्त सचिव)
अन्य सदस्य	10 (भारत सरकार द्वारा नामजद ऐसे लोग जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते है)
निदेशक, स्थानीय बोर्ड	4 (केन्द्र सरकार द्वारा नामजद)
कुल	**20**

- केन्द्रीय बोर्ड के अतिरिक्त आरबीआई के चार स्थानीय बोर्ड है- 1. मुंबई, 2. कोलकाता, 3. चेन्नई, 4. नई दिल्ली। यह चारों स्थानीय बोर्ड, केंद्रीय निदेशक मंडल के आदेशानुसार कार्य करते है और महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रीय निदेशक मंडल को परामर्श भी देते हैं।
- रिज़र्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर—
  - प्रथम गवर्नर — सर ओबार्न स्मिथ
  - प्रथम भारतीय गवर्नर — सर सी.डी. देशमुख
  - वर्तमान गवर्नर — 24वें गवर्नर उर्जित पटेल (4 सितम्बर, 2016 से कार्यकाल प्रारम्भ)

ध्यातव्य हो कि

देश का केन्द्रीय बैंक आरबीआई छोटे सिक्कों का देशभर में वितरण का कार्य करता है। 1 रूपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं जबकि शेष सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।

रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्य

बैंक के रूप में प्रमुख कार्य

- नोटो का निर्गमन
- सरकार के बैंकर के रूप में कार्य।
- बैंकों का बैंकर तथा अन्तिम ऋणदाता।
- साख नियन्त्रक।
- विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण।
- विदेशी मुद्रा का संरक्षक।

विकासात्मक कार्य

- ग्राम तथा अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का विस्तार करना।
- बैंक व्यापार करने के लिए निजी क्षेत्रों को लाइसेन्स जारी करना।
- सरकारी प्रतिभूतियों व व्यापारिक बिलों का क्रय-विक्रय करना।
- मूल्यवान वस्तुओं का क्रय-विक्रय करना।
- कृषि साख की व्यवस्था नाबार्ड के माध्यम से करना।
- बैंक आदतों को प्रोन्नत करना।
- सभी अनुसूचित बैंकों के नकद प्रारक्षण (Cash reserve) को अपने पास रखना।

अन्य कार्य

- बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करना।
- आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना एवं प्रकाशित करना।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की सदस्यता के संदर्भ में सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करना।
- मुद्रा एव बैंक व्यवस्था संबंधी मामलों पर सरकार को परामर्श देना।

ध्यातव्य हो कि

- भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार की ओर से करेंसी जारी करने का काम 'न्यूनतम निधि पद्धति' (Minimum Reserve System) के माध्यम से करता है। इसके तहत आरबीआई को अपने पास 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण और 85 करोड़ मूल्य का विदेशी मुद्रा रिज़र्व आरक्षित करना होता है। यह पद्धति 1957 के बाद से अपनायी गयी।
- रिज़र्व बैंक को एक रूपए के सिक्के/नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत मे विभिन्न मूल्यवर्ग के नोट जारी करने का एकाधिकार है।

वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank)

वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो जनता की बचतों को स्वीकार करने तथा उत्पादक वर्ग एवं आम जनता को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ खाताधारकों को चेक बुक, एटीएम एवं लॉकर जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं।

वाणिज्यिक बैंकों को प्राय: दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—

1. सार्वजनिक बैंक
2. निजी बैंक

1. **सार्वजनिक बैंक**—सार्वजनिक बैंकों की श्रेणी मे **SBI** और **SBI के सहायक बैंकों** और **राष्ट्रीयकृत बैंकों** को शामिल किया जाता है। जिनका क्रमबद्ध अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं उसके सहायक बैंक

भारत में आधुनिक बैंकिंग का आरंभ 1806 में कलकत्ता मे प्रथम प्रेसीडेंसी बैंक, जिसका नाम बैंक ऑफ बंगाल था, की स्थापना से माना जाता है। 1840 व 1843 में क्रमश: मुंबई व मद्रास प्रेसीडेंसी में बैंक ऑफ बंबई एवं बैंक ऑफ मद्रास स्थापित किये गये। 1921 में इन तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया मे किया गया। देश के ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का 1 जुलाई 1955 को आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर दिया गया। इसके साथ अन्य 8 (वर्तमान मे 5 है) बैंकों को इसके सहायक बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिन्हें '**स्टेट बैंक समूह**' के बैंक कहा जाता है। ये बैंक निम्नलिखित हैं—

(i) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
(ii) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
(iii) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
(iv) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
(v) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

ध्यातव्य हो कि

स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का जुलाई 2008 में तथा स्टेट बैंक आफ इन्दौर का वर्ष 2010 में SBI में विलय के कारण वर्तमान में स्टेट बैंक समूह मे केवल 5 सहायक बैंक ही रह गए है।

भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंकों-स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर व स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के साथ-साथ वर्ष 2013 में स्थापित भारतीय महिला बैंक को भी स्टेट बैंक में विलय के एसबीआई व सम्बन्धित सहयोगी बैंकों के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की 16 जून 2016 की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी थी। 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई में पाँचों सहायक बैंकों व भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया है। इस विलय के पश्चात् एसबीआई की शाखाओं की कुल संख्या लगभग 22,500 हो जाएगी। इसके साथ ही इसके एटीएम 58 हजार तथा ग्राहकों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक होगी। भारत में इसका मार्केट शेयर भी 17 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 22 प्रतिशत हो सकेगा तथा एसबीआई की विश्व के 50 बड़े बैंकों में गणना होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंक

बैंको को और अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से देश के ऐसे 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी। ये बैंक निम्नलिखित थे—

(i) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
(ii) बैंक ऑफ इण्डिया
(iii) पंजाब नेशनल बैंक
(iv) केनरा बैंक
(v) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
(vi) सिंडिकेट बैंक
(vii) बैंक ऑफ बड़ौदा
(viii) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
(ix) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
(x) देना बैंक
(xi) इलाहाबाद बैंक
(xii) इण्डियन बैंक
(xiii) इण्डियन ओवरसीज बैंक
(xiv) बैंक ऑफ महाराष्ट्र

एक दशक पश्चात् 15 अप्रैल, 1980 को पुन: 6 उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी। ये बैंक निम्नलिखित थे—

(i) आंध्र बैंक

(ii) पंजाब एण्ड सिन्ध् बैंक

(iii) न्यू बैंक ऑफ इण्डिया

(iv) विजया बैंक

(v) कॉर्पोरेशन बैंक

(vi) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

4 सितम्बर, 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक मे विलय कर दिया। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 रह गई।

2. निजी बैंक—निजी बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिनमे निजी क्षेत्र की सहभागिता 51% या उससे अधिक है। भारत में निजी बैंकों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया है जो निम्नवत् हैं—

(i) ऐसे बैंक जो 1969 एवं 1980 मे राष्ट्रीयकृत नहीं किये गये। ऐसे बैंकों को 'पुराने निजी क्षेत्र के बैंक' कहा जाता है।

(ii) 1991 के आर्थिक सुधारों को अपनाने के बाद RBI ने जिन निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना के लिये लाइसेन्स जारी किये, उन्हें 'नये निजी क्षेत्र के बैंक' कहा जाता है।

भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र के बैंक

पुराने निजी क्षेत्र के बैंक (13)

1. कैथोलिक सीरियन बैंक
2. सिटी यूनियम बैंक
3. धनलक्ष्मी बैंक
4. फेडरल बैंक
5. आई एन जी वैश्य बैंक
6. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक
7. कर्नाटक बैंक
8. करूर वैश्य बैंक
9. लक्ष्मी विलास बैंक
10. नैनीताल बैंक
11. रत्नाकर बैंक
12. साउथ इण्डियन बैंक
13. तमिल मर्केन्टाइल बैंक

नये निजी क्षेत्र के बैंक (9)

1. एक्सिस बैंक
2. डेवलपमेन्ट क्रेडिट बैंक
3. एचडीएफसी बैंक
4. आईसीआईसीआई बैंक
5. इंडसांइड बैंक
6. कोटक महिन्द्रा बैंक
7. यस बैंक
8. आईडीएफसी बैंक
9. बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लि.

निजी क्षेत्र के नवीनतम् बैंक

- **इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट फिनॉन्स कम्पनी (IDFC)**

सैद्धांतिक मंजूरी	—	आरबीआई द्वारा अप्रैल, 2014 में।
लाइसेन्स	—	समस्त औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात 23 जुलाई, 2015 को आरबीआई द्वारा लाइसेन्स किया गया।
स्थापना	—	अक्टूबर, 2015
कार्य प्रारम्भ	—	1 अक्टूबर, 2015
औपचारिक उद्घाटन	—	19 अक्टूबर, 2015, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा।
बैंक के एमडी व सीई ओ	—	राजीव बी.लाल।
मुख्यालय	—	मुम्बई, महाराष्ट्र में।
क्षेत्र	—	यह निजी क्षेत्र का नवीनतम बैंक है।

- **बन्धन बैंक (Bandhan Bank)**

पूर्ण बैंक के रूप में औपचारिक उद्घाटन	—	25 अगस्त 2015 (केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा कोलकत्ता में।)
लाइसेन्स प्राप्त करने की तिथि	—	जून 2015 में आरबीआई द्वारा पूर्ण बैंक के रूप में कार्य करने हेतु यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ।
एसडी एवं सीईओ	—	चन्द्रशेखर घोष
गैर कार्यकारी चेयरमैन	—	अशोक लाहिडी (भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार)
क्षेत्र	—	यह निजी क्षेत्र का नवीनतम बैंक है।

आरबीआई एक्ट, 1934 के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को दो भागों में बाँटा जा सकता है —

1. अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank)
2. गैर-अनुसूचित बैंक (Non-scheduled Bank)

1. **अनुसूचित बैंक**—वे बैंक अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आते हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते है—

- वह बैंक जिसका नाम रिज़र्व बैंक अधिनयम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है।
- बैंक की प्रदत्त पूंजी और संचित कोष 5 लाख से कम न हो।
- भारतीय रिज़र्व बैंक को इस बात का विश्वास दिलाना कि वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जमाकर्ताओं के हित प्रभावित हो।
- ये बैंक RBI के पास सीआरआर और एसएलआर रखते है।

सुविधाएं—अनुसूचित बैंक को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं—

- वह बैंक RBI से बैक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाते है।
- प्रत्येक अनुसूचित बैंक स्वत: ही समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेते है।

2. **गैर-अनुसूचित बैंक**—वे बैंक गैर अनुसूचित बैंको की श्रेणी में शामिल किये जाते हैं जिन बैंकों का नाम रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची मे शामिल नहीं किया गया है। ऐसे बैंक गैर अनुसूचित बैंक की श्रेणी मे आते हैं। इन बैंकों को सांविधिक नकद (SLR) शर्तों को मानना पड़ता है लेकिन इस कोष को ये बैंक रिज़र्व बैंक के पास रखने को बाध्य नहीं है। ये बैंक इस राशि को अपने पास रख सकते है। ये बैंक सामान्य कार्य उददेश्यों हेतु रिज़र्व बैंक से उधार लेने के अधिकारी नहीं होते, किन्तु असामान्य परिस्थितियों मे ये रिज़र्व बैंक से संपर्क करके उधार प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में गैर अनुसूचित बैंको की संख्या लगभग समाप्त हो चुकी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank)

उद्देश्य—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को बैकिंग सुविधाओं से जोड़ना है जहां अभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच नहीं हो पायी है। इन बैंकों का मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है। साथ ही ग्रामीण बचतों को जुटाकर उत्पादक गतिविधियों में लगाना है।

स्थापना—

2 अक्टूबर, 1975 को पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये—

उत्तर प्रदेश में	—	मुरादाबाद, गोरखपुर
हरियाणा में	—	भिवानी
राजस्थान में	—	जयपुर
प. बंगाल में	—	माल्दा

प्रमुख कार्य—

- ये बैंक छोटे व सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों व दस्तकारों को ऋण उपलब्ध कराते हैं।
- कमजोर वर्ग के लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

महत्वपूर्ण तथ्य—

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व भारत सरकार, संबंधित राज्य की सरकार तथा इनके प्रायोजित बैंकों (Sponsored Bank) के पास है। इनकी निर्गत पूंजी का बंटवारा इन तीनों के मध्य क्रमश: 50%, 15% तथा 35% के अनुपात में है।
- कुछ विशेष प्राथमिकता प्राप्त गतिविधियों के वित्तीयकरण के लिये नाबार्ड एवं इनके प्रायोजित बैंक इन्हें पुनर्वित की सुविधा प्रदान करते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक करने तथा उन्हें और सशक्त बनाने के विचार के साथ भारत सरकार ने सितंबर 2005 में चरणबद्ध तरीके से इन बैंकों के विलय की प्रक्रिया शुरू की थी, जो वर्तमान में भी जारी है।

कमियां—

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनेक कारणों से क्षमता प्रभावित होती है, जैसे इन बैंकों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं प्रायोजित बैंकों द्वारा शेयर पूंजी मे अंशदान है, जिस कारण निर्णय लेने में विलम्ब होता है। अल्प ब्याज दर व ऋणों की अदायगी समय पर न होने या बिल्कुल नहीं होने से बैंकों की कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

ध्यातव्य हो कि

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों मे कार्यरत है।

सहकारी बैंक (Co-operative Bank)

सहकारी बैंकों की स्थापना अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियमों द्वारा की गयी है। भारत में सहकारी बैंको का गठन तीन स्तरों पर है—(1) राज्य सहकारी बैंक (संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था) (2) केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक (जिला स्तर पर कार्य करते हैं) (3) प्राथमिक ऋण समितियां (ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं)

1. **राज्य सहकारी बैंक**—इस बैंक को राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक भी कहते हैं। यह बैंक राज्य के केन्द्रीय/जिला सहकारी बैंकों को ऋण देता है और उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यह आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है इस प्रकार यह बैंक रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय सहकारी/जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के मध्य एक महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ी का कार्य सम्पन्न करता है।

2. **केन्द्रीय/जिला सहकारी बैंक**—इनका कार्य एक जिले तक ही सीमित रहता है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(i) सहकारी बैंकिंग संघ। (ii) मिश्रित केन्द्रीय सहकारी बैंक।

सहकारी बैंक संघ की सदस्यता सिर्फ सहकारी समितियों को प्राप्त होती है, जबकि मिश्रित केन्द्रीय सहकारी बैंकों के सदस्य सहकारी समितियाँ तथा व्यक्ति दोनों ही हो सकते हैं भारत के समस्त बैंक सहकारी साख समितियों को आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करते हैं ताकि ये समितियां कृषकों तथा अन्य सदस्यों को समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सकें। केन्द्रीय सहकारी बैंक अपनी चालू पूंजी में से ऋण देते हैं। इनके ऋण की अवधि भी एक वर्ष से तीन वर्ष तक हो सकती है। इस प्रकार अधिकांश केन्द्रीय बैंक राज्य सहकारी बैंक तथा प्राथमिक ऋण समितियों के मध्य अंतर्वर्ती का कार्य करते हैं।

3. **प्राथमिक साख समितियां**—इनकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का गठन कर सकते हैं। ये समितियाँ प्राथमिक कृषि साख समितियाँ भी कहलाती है तथा सामान्यत: यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन (1 वर्ष के लिए) ऋण देती है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में इनकी अवधि तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।

विकास बैंक (Development Bank)

किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए स्थापित बैंकों को विकास बैंक कहा जाता है। इन बैंकों का प्रमुख कार्य जिस क्षेत्र विशेष के लिये स्थापित किये जाते हैं उस क्षेत्र के लिए वित्त का प्रबन्ध करना, नीतिगत योजनायें बनाना, संबंधित क्षेत्र का योगदान तथा देश की जीडीपी मे बढ़ाना।

तालिका 7.2: प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित विकास बैंक

क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र के विकास बैंक
कृषि	नाबार्ड, भूमि विकास बैंक
उद्योग	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड (IDBI), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (IFCI), भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड (ICICIL), राज्य वित्त निगम (SFC), भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (IIBIL)
व्यापार	भारतीय निर्यात आयात बैंक (EXIM Bank)
आवास	राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)
सूक्ष्म उद्योग	मुद्रा बैंक (MUDRA Bank)

तालिका 7.3 वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक के मध्य अंतर

वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक
• वाणिज्यिक बैंकों का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया गया।	• जबकि सहकारी बैंकों की स्थापना अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियम द्वारा की गई है।
• प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित की सुविधा लेने का अधिकार प्राप्त होता है।	• जबकि सहकारी ढांचे के अंतर्गत केवल राज्य सहकारी बैंकों के ही भारतीय रिज़र्व बैंक तक पहुँच का अधिकार प्राप्त है।
• वाणिज्यिक बैंक किसी भी जिले, राज्य यहां तक विदेशों मे भी अपनी शाखाएं खोल सकते है।	• जबकि सहकारी बैंक केवल निर्धारित क्षेत्र मे ही अपना कार्य सीमित रखते हैं। जैसे राज्य सहकारी बैंक एक राज्य विशेष तक ही सीमित रहता है और इसी प्रकार जिला सहकारी बैंक एक जिला विशेष मे ही कार्य करता है।
• वाणिज्यिक बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की सभी धाराएं लागू होती है। अत: वाणिज्यिक बैंकों पर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण रहता है।	• बैंकों पर आरबीआई का आंशिक नियंत्रण रहता है।
• वाणिज्यिक बैंक लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं।	• जबकि सहकारी बैंक 'सहकारिता के सिद्धान्तों' पर कार्य करते हैं।

तालिका 7.4 भुगतान बैंक एवं लघु बैंक में अन्तर

आधार	भुगतान बैंक	लघु बैंक
संचालक	दूरसंचार कंपनी, शापिंग माल, पीएसयू, एनबीएफसी	व्यक्तिगत/पेशेवर व्यक्ति जिन्हे वित्त, माइक्रो फाइनेन्स के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो।
कार्य	पेमेंट बैंक के माध्यम से लघु बचतों को स्वीकार किया जाएगा। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले सीमान्त श्रमिकों और समाज के वंचित तबकों को पूंजी जमा कराने तथा पैसे भेजने जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे।	ये बैंक छोटे, लघु उद्योगों को कर्ज दे सकते है। यह ग्रामीण इलाकों में कृषि की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
सुविधाएं	—इंटरनेट बैंकिंग उपयोग करने की अनुमति। —1 लाख रूपये तक की जमा राशि स्वीकारने की अनुमति। —म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन देने की अनुमति। —बिजनेस कॉरेस्पॉडेंट। —एटीएम संचालन की अनुमति। —बचत एवं चालू खाता खोलने की अनुमति।	—म्यूचुअल फंड एवं बीमा बिक्री —बचतो को स्वीकार करके क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। —भविष्य में पूर्ण बैंक में परिवर्तित हो सकता है। —पूरे देश में विस्तार बचतों को स्वीकार करके क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे।
जिसकी अनुमति नहीं है	—क्रेडिट कार्ड —एन.आर.आई. जमा राशि स्वीकारना —ऋण का वितरण	—बड़े ऋण के विस्तार की अनुमति नहीं —वृहद वित्तीय क्षेत्र
पूंजी आधार	100 करोड़	100 करोड़
सैद्धांतिक मंजूरी	रिज़र्व बैंक द्वारा 19 अगस्त, 2015 में 11 आवेदनों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गयी।	आरबीआई द्वारा लघु बैंकों की स्थापना हेतु 10 आवेदनों को सैद्धांतिक मंजूरी 16 सितम्बर, 2015 को प्रदान की गयी।
सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाले आवेदक	1. आदित्य बिडला नूवो लिमिटेड 2. एयरटेल एम. कामर्स सर्विसेज लिमिटेड 3. चोलामण्डलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लिमिटेड 4. डाक विभाग 5. फिनो पेटेक लिमिटेड 6. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड 7. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8. दिलीप शान्तिलाल शांधवी 9. विजय शेखर शर्मा 10. कोटेक महिन्द्रा लिमिटेड 11. वोडाफोन एम. पेसा लिमिटेड	1. अनु फाइनेंशियर्स (इंडिया) लि., जयपुर 2. कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि., जालन्धर 3. दिशा माइक्रो फाइनेसर्स प्रा.लि., अहमदाबाद 4. इक्विटैस होल्डिंग्स प्रा.लि., चेन्नई 5. ईएसएएफ माइक्रो फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा.लि., चेन्नई 6. जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि., बैंगलूरू 7. आरजीवीएन (नार्थ ईस्ट) माइक्रो-फाइनेंस लि., गुवाहाटी 8. सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्रा.लि., नवी मुम्बई 9. उज्जीवन फाइनेशियल सर्विसेज प्रा.लि., बैंगलूरू 10. उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्रा.लि., वाराणसी

इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना (Islamic Development Bank)

इस बैंक की स्थापना सऊदी अरब के वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1973 में की गयी थी। यह बैंक शरिया कानून के मुताबिक काम करता है। इस बैंक का मुख्य मकसद उसके सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए काम करना है। यह बैंक मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए भी काम करता है। इस बैंक के कुल 56 इस्लामिक देश सदस्य है। इस बैंक का मुख्यालय जेद्दा (सऊदी अरब) में है।

तालिका 7.5: इस्लामिक डेवेलपमेंट बैंक से जुड़े मुख्य तथ्य

स्थापना	—	मई, 2016 में घोषणा तथा 2 जून, 2016 को मंजूरी दी गयी
स्थान	—	गुजरात, (भारत)
महत्वपूर्ण तथ्य	—	• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अप्रैल, 2016 में यूएई की यात्रा पर गये थे। उसी दौरान भारत के EXIM और यूएई के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के मध्य, भारत में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की पहली शाखा खोलने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए। • भारत दुनिया का पहला ऐसा गैर इस्लामिक देश है, जहाँ यह बैंक अपनी सेवाए देने जा रहा है। • गुजरात में यह बैंक राज्य के नामी व्यवसायी जफर सरेशवाला के नेतृत्व में खुल रहा है, जिन्हें प्रधानमंत्री ने मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी का चांसलर भी नियुक्त किया था।

भारत बनाम इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक

लघु व मध्यम उद्योगों की वित्तीय आवश्यकतायें अधिक नहीं होती। उसके बावजूद यह उद्योग रोज़गार पैदा करने वाले होते हैं। ऐसे में भारत के मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना आसान होगा, जो ब्याज के कारण बैंकों से कर्ज नहीं लेते थे। भारत का इस्लामिक विकास बैंक ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आयेगा जिनके पास पूंजी नहीं है, लेकिन हुनर है।

इस्लामिक बैंक में सिर्फ मुसलमानों को नहीं अपितु गैर-मुसलमान समुदायों को भी सुविधाएं दी जाएंगी।

ध्यातव्य हो कि

वर्तमान में भारत में इस्लामिक बैंक को मात्र प्रायोगिक प्रयास के लिए नहीं वरन् एक व्यवस्थित वित्तीय व्यवस्था के रूप में अपनाया गया है।

इस्लामिक बैंकिंग के सिद्धान्त

- सामाजिक न्याय और समानता का सिद्धान्त
- पर्यावरण संरक्षण का सिद्धान्त
- आर्थिक प्रगति का सिद्धान्त
- मूल्यहीन मुद्रा का सिद्धान्त
- नैतिकता का सिद्धान्त
- ब्याज एवं जोखिम पर रोक का सिद्धान्त

विमुद्रीकरण (Demonetization)

विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है, जिसके तहत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को परिचालन में लाती है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न हाने लगता है तो इससे निजात पाने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसके पास कालाधन होता है, वे नई मुद्रा लेने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

आजादी के बाद सबसे बड़ा विमुद्रीकरण

'विमुद्रीकरण की नीति शेर की सवारी' करने के समान होती है क्योंकि इसमें लाभ और जोखिम दोनों का स्तर काफी उच्च होता है। इस नीति के क्रियान्वयन से जहाँ एक ओर काली अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार होता है तथा अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ती है तो वहीं दूसरी ओर इसमें सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक जोखिम (अव्यवस्था, मंदी, असुविधा आदि) भी होता है।

देश में विमुद्रीकरण अपनाने के कारण

विमुद्रीकरण के लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर समस्त बौद्धिक समुदाय दो वर्गों में बंटा नजर आता है। एक वर्ग—इस नीति को काले धन के संपूर्ण समापन में नाकाफी एवं गैर-जरूरी मानते हुए इसे असुविधाजनक, गरीब विरोधी तथा आर्थिक संवृद्धि में नकारात्मक प्रभाव डालने वाली मानता है। पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह इस नीति के क्रियान्वयन मात्र से जीडीपी में 1-2 प्रतिशत की कमी का आकलन करते हैं। इसकी आलोचना करते हुए वे इसे नरक की ओर जाती हुई एक ऐसी सड़क की संज्ञा देते है जिसका निर्माण अच्छे मनोभाव से किया गया है। इसके विपरीत दूसरा वर्ग न्याय की स्थापना हेतु इसे अपरिहार्य मानता है। ये इसे एक कड़वी औषधि की संज्ञा देते हैं, जिससे अल्पकाल में भले ही कुछ असुविधाएं हो, परन्तु दीर्घकाल में निश्चित ही लाभ होता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवम्बर, 2016 को एक साहसिक निर्णय लेते हुए मध्य रात्रि से 500 व 1000 रूपये की वर्तमान शृंखला के नोटो के विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी, इस कदम को अपनाने के पीछे क्या कारण रहे, उन्हें निम्न आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है—

- सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में केन्द्र सरकार ने यह बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 400 करोड़ रूपये की नकली मुद्रा होने का अनुमान है और इसी धनराशि का प्रयोग आतंकवाद तथा कई अन्य प्रकार की राष्ट्र विरोधी एवं आपराधिक गतिविधियों के लिये किया जाता है। अत: इस नकली मुद्रा की समस्या का एकमात्र हल विमुद्रीकरण ही था।

- हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की तुलना में उच्च मूल्य की मुद्राओं (500/1000) के प्रवाह में कहीं अधिक वृद्धि हुई है। मार्च 2016 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 16,415 बिलियन मुद्रा प्रवाहमान थी जिसका ब्योरा निम्न तालिका में दिया जा रहा है:

तालिका 7.6: विदेशी मुद्रा का प्रवाहमान 2016 के अनुसार

उच्च मूल्य की मुद्रा	%में	मूल्य (बिलियन में)
1000 नोट की भागीदारी	38.6%	6326 बिलियन
500 नोट की भागीदारी	47.8%	7854 बिलियम
कुल	86.4%	14180

14,180 बिलियन रूपये हमारी जीडीपी का लगभग 10.5 प्रतिशत 500 व 1000 की नोट है यह तब कि स्थिति हैं जब वर्ष 2015-16 की कुल राष्ट्रीय आय 1,35,761 बिलियन मानी गयी है। उच्च मूल्य की मुद्रा का इतना विशालकाय स्थिति में होना देश के भीतर कालेधन के भण्डारण की संभावना को बल देती है। अत: यह एक प्रबलतम कारण रहा विमुद्रीकरण को अपनाने का।

- विभिन्न अनुमानों के अनुसार, हमारे देश में विद्यमान समानांतर काले धन की अर्थव्यवस्था (Shadow Economy) का आकार हमारी अर्थव्यवस्था के 10-30 प्रतिशत के बराबर माना जाता है। स्वयं केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने शपथ पत्रा में इसे 26% बताया है अब यदि हम इस काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को 30: मान ले तो कह सकते है 500 और 1000 की मुद्रा में विद्यमान लगभग 4254 बिलियन राशि काले धन की उपज है या काला धन हो सकता है।

उपरोक्त कारण विमुद्रीकरण की अवधरणा को अपनाने के लिये पर्याप्त है।

कैसे प्राप्त है सरकार को विमुद्रीकरण का अधिकार

- RBI Act, 1934 की धारा 24(2) के अनुसार— 'रिज़र्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुझाव पर केन्द्र सरकार किसी भी मूल्य के नोट के जारी होने पर रोक लगा सकती है।'
- RBI Act, 1934 की धारा 26(2) के अनुसार— 'रिज़र्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुझाव पर केन्द्र सरकार किसी भी मुल्य की मुद्रा की किसी भी सीरीज को दी गई तिथि से अमान्य घोषित कर सकती है।

भारत में अब तक तीन बार विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनायी जा चुकी है

काला धन बनाम विमुद्रीकरण

विमुद्रीकरण को अपनाने के केन्द्र में 'काले धन की समस्या' है। यहाँ तीन बातों का विश्लेषण किया जायेगा—

1. काले धन का अर्थ
2. काले धन का प्रभाव
3. काले धन से निपटने की रणनीति

तालिका 7.7: विमुद्रीकरण की समयरेखा

वर्ष	विमुद्रीकरण का अधिकार
1946	इस अवधि् में 1000 और 10,000 मूल्य के नोट चलन से बाहर करने के लिये RBI Act, 1934 में संशोधन कर धारा-26(2) के द्वारा किया गया था।
1978	इस अवधि में जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 और 10,000 मूल्य के नोट का विमुद्रीकरण करने के लिए हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट (डिमोनेटाइजेशन) एक्ट 1978 पास किया गया था।
2016	8 नवम्बर, 2016 को किया गया विमुद्रीकरण RBI Act, 1934 की धारा 26(2) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को प्राप्त शक्तियों के आधार पर किया गया है, जबकि यह धारा किसी भी मूल्य की मुद्रा की किसी सीरीज विशेष को बंद करने की बात करता है न कि पुरी मुद्रा का जैसा कि वर्तमान में हुआ है।

काले धन का अर्थ—काले धन को सामान्यत: उस धन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका कोई लेखा-जोखा न हो तथा जिस पर कोई कर अदा न किया गया हो। काले धन का सृजन दो तरीको से होता है। प्रथम यह वैध स्रोत से अर्जित धन पर कर चोरी से उत्पन्न होता है। द्वितीय यह कि धन प्राप्ति का स्रोत ही अवैध हो जैसे-तस्करी, चोरी, हवाला।

इन गतिविधियों से आज कालेधन का एक बड़ा भंडार बन गया है।

काले धन का प्रभाव—भारत में काले धन की समस्या काफी गंभीर है क्योंकि यह भारत में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना में एक प्रमुख बाधक के रूप में कार्य करता है। इसके कारण जहाँ एक ओर राजस्व में कमी होती है, जिससे विकास एवं कल्याण गतिविधियों में अपेक्षित निवेश नहीं हो पाता है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक खरीद-फरोख्त, चुनावी धांधली, आदि में भी इसकी प्रमुख भूमिका है। आजकल काला धन राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष भी एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करता नजर आ रहा है, क्योंकि यह आतंकवाद एवं संगठित अपराध के बीच गठबंधन की एक प्रमुख कड़ी भी है। इसके अतिरिक्त छद्म मांग, ऊंची कीमतें, आर्थिक अस्थिरता हेतु भी काले धन को उत्तरदायी ठहराया जाना अतिशियोक्ति नहीं होगा।

काले धन से निपटने की रणनीति—काला धन, जो अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, से निपटने हेतु दो रणनीतियां अपनायी जाती हैं—

तालिका 7.8: काले धन से निपटने हेतु रणनीतियाँ

प्रथम रणनीति	दूसरी रणनीति
प्रथम रणनीति के तहत काले धन के सृजन को ही रोका जाता है। इसके तहत शासन के अंदर-पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही, स्पष्टता, सहभागिता आदि का सृजन करने के लिए युक्तिसंगत कर संरचना, ई-गवर्नेंस (डिजिटलीकरण), सिटिजन चार्टर, आनलाइन भुगतान प्रणाली, प्रेरक विधिक एवं भौतिक आधार संरचना, स्पष्ट एवं सरल नियम तथा कानूनों का विकास आदि जैसे कदम उठाये जाते हैं।	दूसरी रणनीति के तहत पहले से उपलब्ध काले धन की समाप्ति हेतु कदम उठाए जाते है। इसके तहत विभिन्न कर छूट योजनाओं की घोषणा, गहन सतर्कता एवं जॉच, सूचनाओं का आदान-प्रदान, राउंड ट्रिपिंग का नियमन, विमुद्रीकरण आदि कदम उठाए जाते हैं।
प्रथम रणनीति के अनुपालन हेतु भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयास निम्नवत् हैं—	**दूसरी रणनीति के अनुपालन हेतु भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयास निम्नवत् हैं—**
• सूचना का अधिकार अधिनियम • सिटिजन चार्टर • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली • डिजिटल भारत • स्टार्ट अप योजना • वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली • आधार कार्ड की अनिवार्यता • पैन कार्ड के आधार क्षेत्र में वृद्धि • बैंकिंग क्षेत्र में नये प्रयोग (तकनीक से जुड़ने का मौका रूपे कार्ड, भीम एप)	• आय घोषणा योजना (जून से सितम्बर, 2016) • दोहरे कराधान संधियों की समीक्षा (मारीशस व सिंगापुर जैसे देशों के साथ) • सूचना साझेदारी समझौते (स्विट्जरलैंड के साथ) • गार अधिनियम लागू करना • एसआईटी का गठन • 500 व 1000 रूपये के नोटों का विमुद्रीकरण (8 नवम्बर, 2016 को) • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना • देश के भीतर बेनामी संपत्ति और दिवालियेपन पर नये कानून

विमुद्रीकरण का प्रभाव

विमुद्रीकरण को एक युगांतकारी कदम माना जा रहा है, जो न केवल अर्थव्यवस्था अपितु सामाजिक-आर्थिक ढाँचे की तस्वीर को भी बदलने में सक्षम है, परन्तु ऐसा नहीं है कि इसके केवल सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेंगे। भारत की विशेष स्थिति, जहाँ संसाधनों के वितरण में असमानता, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतराल, आधारभूत संरचना में विविधता तथा नीतिगत विभेद काफी अधिक हैं, के आलोक में इस नीति की सफलता एवं लक्ष्य प्राप्ति के समक्ष कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं। अंततः विमुद्रीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव को समझने के लिए आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक आधार पर क्षेत्रवार विश्लेषण करना उचित होगा।

विमुद्रीकरण का आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव

- **आर्थिक प्रभाव**—आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए विमुद्रीकरण ने देश के उपभोक्ता व्यवहार, लोक वित्त, विदेशी व्यापार, उत्पादन, रोजगार, निवेश, आय वितरण पर क्या प्रभाव डाला है, इसका अध्ययन व विश्लेषण करना होगा।

- **विमुद्रीकरण का सकारात्मक आर्थिक प्रभाव**—विमुद्रीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसे बिन्दुवार स्पष्ट किया जा रहा है—
  - विमुद्रीकरण, नकद रूप से रखे समस्त काले धन को समाप्त कर देगा तथा समस्त मुद्रा का लेखा उपस्थित होने से मौद्रिक नीति दक्ष तथा प्रभावी बनायी जा सकेगी।
  - सम्पूर्ण वित्त के लेखांकन से राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे आधारभूत संरचना में वित्त संबंधी मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा सरकार कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में और अधिक समर्थवान होगी।
  - जब काला धन नहीं होगा, तो कृत्रिम मांग (अनावश्यकक मांग) स्वतः ही कम हो जायेगी, इससे मुद्रास्फीति की बढ़ी हुई दरें नियंत्रित रहेंगी, जो प्रत्यक्ष रूप से देश की आम जनता को सुखद स्थिति में पहुंचायेगी।
  - काले धन का एक बड़ा भाग रियल एस्टेट में लगा हुआ है। इससे आवासों की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि हो गयी है। विमुद्रीकरण, मुद्रा के रूप में संचित काले धन का खात्मा कर देगा, जिससे धीरे-धीरे इसका असर रियल एस्टेट पर दिखेगा तथा फ्लैट्स और घरों के दाम गिरेंगे तथा सामान्य जन का घर खरीदने का सपना पूरा होगा।
  - विमुद्रीकरण की प्रक्रिया से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस देश के रूप में बनेगी। परिणामतः भारत में वैश्विक निवेश बढेगा, जो अंततः उत्पादन, उत्पादकता एवं रोजगार सृजन को बढ़ायेगा। यह स्थिति

भारत को स्वतः 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' जैसे वैश्विक इंडेक्स में हमारी रैंकिंग को सुधारेगी।

- देश में हवाला प्रणाली के चलते बड़े आराम से काले धन को स्थानांतरित किया जाता रहा है। विमुद्रीकरण, अवैध् मुद्रा भंडार को ही समाप्त कर देगा, जिससे स्वतः ही हवाला प्रणाली ध्वस्त हो जायेगी।
- इस कदम का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होगा। इससे अच्छे व्यवहार, पारदर्शिता, नैतिकता तथा असंग्रहण की संस्कृति का विकास होगा।
- विमुद्रीकरण प्रत्यक्ष रूप से बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, परिणामतः बैंक रियायती ब्याजदरों पर उद्यमियों के लिए वित्त का प्रबन्ध कर सकेगी।
- इससे भविष्य में नकद संस्कृति का समापन होगा तथा देश नकदरहित अर्थव्यवस्था अथवा कैशलैस की ओर बढ़ेगा।

- **विमुद्रीकरण का नकारात्मक आर्थिक प्रभाव**—विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, यह तब तक कहना उचित नहीं होगा, जब तक विमुद्रीकरण के दूसरे पहलू, नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन व विश्लेषण न कर लिया जाये।
  - देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के अनुसार विमुद्रीकरण 'देश की जीडीपी को 1–2 प्रतिशत पीछे कर देगा। उनका मानना है कि किसी देश का विकास आर्थिक गतिविधियों से होता है और आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए नकदी की उपलब्धता होना आवश्यक है, चूंकि विमुद्रीकरण, नकदी की अनुपलब्धता को बढ़ावा देता है इसलिए नोट बंदी का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अनेक विचारक इस धारणा को कि—'समस्त काला धन नकद रूप में है और समस्त नकद काला धन है' को गलत मानते हैं। यह वास्तविकता भी है कि भारत में 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग नकद में मजदूरी प्राप्त करते हैं, देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोग बिना बैंक खाते के है, लगभग संपूर्ण ग्रामीण निवेश, उत्पादन, व्यापार, नकद के ऊपर ही निर्भर है, जो यद्यपि नकद में तो है, परन्तु काला धन नहीं है। काले धन की अधिकांश मात्रा नकद के अतिरिक्त स्वर्ण, बियरर बाण्ड, रियल एस्टेट, विदेशी मुद्रा आदि के रूप में है, जो नोट बंदी से अंशतः ही प्रभावित होगी। ऐसे में विमुद्रीकरण पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक हो जाता है। इसका मनौवैज्ञानिक प्रभाव भी गरीब विरोधी नजर आता है, क्योंकि नोट बंदी ने सामान्य वस्तु की मांग घटाने और वहीं दूसरी ओर विलासिता की वस्तुओं की मांग में वृद्धि करने का कार्य किया है। प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री कीन्स ने अर्थव्यवस्था के विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारण 'मांग' को माना है। नोटबंदी के इस कदम ने मांग को ही सबसे अधिक दुष्प्रभावित किया। इसका नकारात्मक प्रभाव बड़े व्यापारियों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि भारत में बहुस्तरीय व्यापार प्रणाली और इसमें धन का स्थानान्तरण नकद रूप से फुटकर व्यापार से ही ऊपर की ओर होता है। मांग में आई इस तीव्र गिरावट से निकट भविष्य में आर्थिक मंदी की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता है। विमुद्रीकरण से एक और गंभीर दुष्प्रभाव घरेलू बचत (महिलाओं की गोपनीय बचत) की समाप्ति के रूप में भी पड़ा है, क्योंकि घरेलू बचत आपात स्थितियों के साथ-साथ छोटे व्यापार (रेहड़ी-फेरी) की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है।

विमुद्रीकरण का राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव

- **राजनीतिक प्रभाव**—राजनैतिक प्रभाव के अन्तर्गत भ्रष्टाचार, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा तथा अन्य अपराधों पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का अध्ययन व विश्लेषण करना होगा।
- **विमुद्रीकरण का सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव**—विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को भले ही अल्पावधि के लिए नकारात्मक रूप से प्रभावित अवश्य कर सकती है, परन्तु नोट बंदी से राजनीति क्षेत्र पर सौ फीसदी सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा जैसे-काले धन की समाप्ति से भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां कम होंगी, क्योंकि काले धन के उपयोग से ही भारत में संगठित अपराध तथा आतंकवादी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। अब इन गतिविधियों हेतु वित्त की अनुपलब्धता होगी। इस कदम का आगामी चुनाव पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे चुनावों में अनावश्यक व्यय, वोटरों की खरीद फरोख्त, जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त आदि पर लगाम लगेगी।

विमुद्रीकरण का सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव

- **सामाजिक प्रभाव**—इसके अन्तर्गत सामाजिक विषमता, महिला सशक्तिकरण, जागरूकता जैसे सामाजिक मुद्दों पर विमुद्रीकरण के प्रभावों का अध्ययन व विश्लेषण किया जायेगा।
- **विमुद्रीकरण का सकारात्मक सामाजिक प्रभाव**—नंद नीलेकणि ने विमुद्रीकरण पर अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा था कि विमुद्रीकरण के कारण लोगों को जागरूक करने तथा अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज करने का जो कार्य तीन वर्षों में होता है वह अब 6 महीने में ही जो जायेगा। लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ तार्किक उपभोक्ता प्रवृत्ति का विकास सामाजिक आर्थिक विषमता में कमी, स्त्रियों की स्थिति में सुधार जैसे—सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगे। समग्र रूप से कैश लेस संस्कृति का विकास स्वतः ही समाज को विकसित व संतुलित करेगा।
- **विमुद्रीकरण का सामाजिक क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव**—इसके अंतर्गत सामाजिक विषमता, महिला सशक्तिकरण, जागरूकता जैसे सामाजिक मुद्दो पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का अध्ययन व विश्लेषण किया जायेगा।
  - लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से जुड़े लोग जहाँ अधिकतर लेन-देन कैश में करते हैं अतः आय, रोजगार, उत्पादन, उपभोग, सबमें गिरावट होगी।
  - व्यापार एवं उपभोग में गिरावट के फलस्वरूप सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व में इस क्वार्टर कमी आयेगी।
  - रियल स्टेट में आने वाली गिरावट उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर को नकारात्मक कर सकती है। साथ ही यह क्षेत्र डिफाल्टर बैंकों का एनपीए बढ़ा सकती है।

- आम जनता तक पर्याप्त नकदी उपलब्ध करना सबसे बड़ी चुनौती है।
- वर्तमान में एटीएम मशीनों तथा खरीददारी हेतु स्वाइप मशीनों की आवश्यकता से कम उपलब्धता होना भी एक गंभीर चुनौती है।

निष्कर्ष

- 'सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो'। अब जब देश परिवर्तन के पथ पर अग्रसर हो चुका है तो व्यापक राष्ट्रहित के लिये हम थोड़ी बहुत समस्याओं और चुनौतियों से दो-चार होने से पीछे नहीं हट सकते। जो लोग यह संशय जता रहे है कि विमुद्रीकरण से महज अभी जो मुद्रा काले धन के रूप में है वह भले समाप्त हो जाये, पर इसके सृजन को विराम नहीं लग सकता, उन्हें यह समझना होगा कि वर्तमान में देश में भ्रष्याचार के विरूद्ध एक माहौल है और पारदर्शिता एवं ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार और जनता एकमत है। अभी आने वाले वित्तीय वर्ष यानी 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी भी लागू हो गया है, यह देश का अब तक का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार, व्यापार में सुगमता एवं पारदर्शिता लायेगा। अत: उससे पहले विमुद्रीकरण के इस कदम को अर्थजगत के 'सफाई अभियान' के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही जो अन्य सुधारात्मक कदम उठाये जा चुके हैं या उठाये जा रहे हैं—चाहे इन्साल्वेन्सी एण्ड बैक्रप्सी कानून हो, बेमानी आहरण अधिनियम 2016 हो या फिर अन्य देशों से रियल टाइम इंफोरमेशन प्राप्त करने की दिशा में मिली सफलता हो, इन सबका सम्मिलित प्रभाव एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण अवश्य करेगा जो हमे काले धन के उत्सर्जन से मुक्ति दिलायेगा।

तालिका 7.9: विदेश में विमुद्रीकरण

देश	वर्ष	कारण
ब्रिटेन	2010	बड़े नोटो का प्रयोग अपराध जगत और अनैतिक गतिविधियों में अधिक होने के कारण 500 पाउण्ड के नोट का चलन बंद किया गया।
लीबिया	2012	पुराने नोटों को लीबिया के केन्द्रीय बैंक ने वापस लिया ताकि अर्थव्यवस्था से मुद्रा तरलता की अधिकता को कम किया जा सके।
जिम्बाम्बे	2015	जिम्बाम्बे डालर नोटों के स्थान पर अमेरिकी डालर के चलन को अपनाने के उद्देश्य से, जिम्बाम्बे के केन्द्रीय बैंक को नोटों को चलन से बाहर करना पड़ा।
फिलीपींस	2015	वर्ष 2010 से पूर्व की प्रचलित मुद्रा को समाप्त किया गया ताकि फिलीपींस की राष्ट्रीय मुद्रा की सुरक्षा और अखण्डता बनी रहे तथा मुद्रा की जालसाजी एवं अवैध उपयोग को रोका जा सके।
यूरोपीय संघ	2016	यूरोपीय केन्द्रीय बैंक ने 500 यूरो एवं उससे बड़े नोट बंद करने की घोषणा की है तथा वर्ष 2018 में वहाँ ऐसे नोट जारी नहीं किये जायेंगे। ऐसी कार्यवाही करने का मुख्य उद्देश्य अपराधों एवं अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के बड़े नोटों के इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया।
वेनेजुएला	2016	दिसम्बर 2016 में 100 बोलिवर के नोट का विमुद्रीकरण किया गया।

नोट—भारी विरोध के बाद 20 फरवरी 2017 तक के लिए इन नोटों को अस्थायी मान्यता दी गयी।

अध्याय सार संग्रह

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक एसबीआई, एलआईसी, जीआईसी, आईडीबीआई है।
- मौद्रिक नीति का निर्माण करने वाली संस्था आरबीआई है।
- ट्रेजरी बिल को बेचने का कार्य आईबीआई करता है।
- देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक/सार्वजनिक बैंक एसबीआई है।
- भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य है, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना।
- जिला/केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र एक जिले तक समीति है।
- किसान क्लब का संबंध है किसानों के पास आसानी से पहुँचने के लिए एसबीआई ने किसान क्लब बनाया है।
- नोटों की निर्गमन प्रणाली (Minimum Reserve System) है, जिसके तहत एसबीआई के पास 115 करोड़ मूल्य का सोना और 85 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए तभी वह नयी मुद्रा निर्गमित कर सकता है।
- गोरवाला समिति की संस्तुति पर एसबीआई का गठन हुआ (1952 में) हुआ।
- 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 19 जुलाई, 1969 में (50 करोड़ रूपये की अधिकृत पूंजी) किया गया।
- 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 15 अप्रैल, 1980 (200 करोड़ रूपये की अधिकृत पूंजी) को किया गया।

- बीएसई के सेन्सेक्स और एनएसई के निफ्टी में कम्पनियाँ, क्रमश: 30 और 50 है (बीएसई में 30 कम्पनियों के शेयरों को ब्लू चिप शेयर कहा जाता है।)
- गिल्ट आधारित बाज़ार सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार कहलाता है।
- आईआरडीए बीमा व्यवसाय से संबंधित है।
- बेसल-III बैंकिंग क्षेत्र के लिए तरलता नियमों, उच्चतम पूंजी आवश्यकताओं और आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने की संज्ञा है।
- सहकारी समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय (1. राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, 2. जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक, 3. गांव स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ।) है।
- आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई से जून है।
- भारत तथा एशिया का सबसे पुराना स्टाक एक्सचेंज बीएसई (1875 में स्थापना) है।
- बुल एवं बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है।
- NSE (National Stock Exchange) का मुख्यालय मुम्बई, महाराष्ट्र में है।
- हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था, जिसने केन्द्रीय बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के नाम की संस्तुति की थी।
- भारत में पेपर करेन्सी 1861 ई. में चलन में आयी ।
- पत्र मुद्रा के निर्गमन का दायित्व आईबीई को 1955 में सौंपा गया।
- 1957 में दशमलव प्रणाली अपनायी गयी, (दशमलव प्रणाली अपनाने से 1 रूपये को 100 समान पैसों में बांटा गया जबकि इससे पूर्व भारतीय रूपया 16 आने में विभाजित था।)
- वाणिज्यिक बैंकों में एनपीए का अर्थ ऐसे ऋण हैं जिन पर ब्याज तथा मूलधन की वसूली नहीं होती।
- विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जी. वी. रामकृष्ण थे।
- देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक (1894) था।
- असंगठित क्षेत्र/देशी बैंकर्स/वित्त के गैर संस्थागत स्रोत, साहूकार, महाजन, सेठ, सर्राफा आदि में शामिल है
- आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम नीदरलैंड (1609) में हुआ।
- नोटों के निर्गमन हेतु न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, 1959 से अपनायी गयी
- NBFCs डिमांड डिपोजिट (Saving & Current Account) नहीं स्वीकार नहीं करते।
- वाणिज्यिक बैंको के कार्य में बचतों को स्वीकारना, ऋण उपलब्ध कराना, ग्राहकों की ओर से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करना, वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना शामिल है।
- दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई द्वारा व्यवस्था की जाती।
- बैंक ओंबुड्समैन संबंधित चेकों/बिलों के संग्रह, डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने, प्रावधानित कार्य के घंटों के प्रति लापरवाही जैसे बैंकों के कार्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की देख-रेख से संबंधित है।